(90)

संख्या– / II–2011–03(10)/2011

प्रेषक,

आर0सी0 लोहनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग — देहरादून : दिनांक 07 जुलाई, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग का प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 2066/मु0अ0वि0/वि0नि0/सी–2डी0, अधिष्ठान, दिनांक 07.06.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग के अन्तर्गत रिक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक) के पदों के विपरीत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मानदेय पर रखे जाने पर उनके मानदेय के भुगतान हेतु संलग्न **बी0एम–15** के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 21.00 लाख (₹ इक्कीस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उसी योजना मद के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों सहित मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0 31.03.2012 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–20 के आयोजनेत्तर मद में संलग्न बी0एम0–15 के **स्तम्भ–5** मे उल्लिखित लेखाशीर्षक की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा। तथा **स्तम्भ–1** की बचतों से वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–262/XXVII(2)/2011 दि0–29 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नः यथोक्त

भवदीय,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–743 (1)/ II–2011–03(02)/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन ।
4. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
6. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

संलग्नः यथोक्त

आज्ञा से

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

प्रपत्र–बी०एम–15

अनुदान स
आर

नियन्त्रण अधिकारी: मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
प्रशासनिक विभाग: सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन।
वित्तीय वर्ष 2011–12

(धनराशि हजा

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय 4/2011 तक	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि सहित लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2700–मुख्य सिंचाई 00–आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन 04–कार्यकारी अधिष्ठान 06–अन्य भत्ते 104500	11145	91255	2100 (ख)	2700–मुख्य सिंचाई 00–आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन 04–कार्यकारी अधिष्ठान 07–मानदेय 2100 (क)	2105	102400	(क) ...नदेय पर ... कार्मिकों को स्व... समस्त मद में प... प्राविधान न करन... कारण। (ख) ...आवश्यकता ... कारण।
योग– 104500	11145	91255	2100	2100	2105	102400	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं योजनाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(एस०एस० टोलिया)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
यू०ओ० सं०– 262 /(ए)/XXVII(2)/2010
देहरादून: दिनांक 29 जून , 2011

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव, वित्त

महालेखाकार, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सं० 743 / I-2011-03(10)/2011, तद्दिनांक
प्रतिलिपि (1) समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2

(एस०एस० टोलिया)
अनु सचिव।